न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2004/00018 (82/2004) 223 आरआईएक्ट

1. महेन्द्र कौर पत्नी सतनाम सिंह पुत्री सरदूल सिंह जाति जटसिख, निवासी पतली, तहसील सादुलशहर, जिला श्री गंगानगर।
2. अकीकौर पत्नी सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. छिन्द्र कौर पत्नी मलकीयत सिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। –अपीलाण्ट

बनाम

1. गुरचरण सिंह
2. सुखजीत सिंह उर्फ काला सिंह
3. सुखपाल सिंह उर्फ रिछपाल सिंह

} पिसरान सरदूल सिंह जाति जटसिख चक प्रतापनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2004 द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया अनवान गुरचरण सिंह व अन्य बनाम महेन्द्र कौर व अन्य प्र0सं0 178/2002

श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री महेन्द्र सिंह संधू व खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक:– 03.12.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्टगण ने घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जो विचारण न्यायालय ने वादीगण संख्या 1 व 2 का वाद आंशिक तौर पर डिक्री करते हुए <u>प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण</u> को सथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुए चक 6 एमजेडी खाता संख्या 30/30 में दर्ज 8.933 है0 व चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 31/35 में दर्ज 3.753 है0 भूमि को रहन, बैय न करने व वादीगण संख्या 1 व 2 के कब्जा में मदाखलत बेजा व मजाहमत न करने के आदेश दिये हैं जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादक संख्या 2 व 3 का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय ने जिस प्रकार [illegible] वह त्रूटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेज दिनांक 09.09.58 [illegible] पत्र न होना मानकर इस भूमि को सरदारासिंह [illegible] कर विधिक भूल की है। विधि अनुसार किसी भी दस्तावेज [illegible] नहीं रखता है बलिक [illegible] दस्तावेज की अन्तर्गवस्तु के आधार पर दस्तावेज के मर्म को जानना आवश्यक [illegible] प्रस्तुत दस्तावेज गुजारानामा दिनांक 09.09.58 भरण पोषण व इच्छा पत्र का सम्मिश्रण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:40 IST
Reason: SelfAttested

Lavo
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

है। सरदारासिंह ने 29 बीघा 19 बिस्वा भूमि बलवीर कौर को अपने जीवनकाल में गुजारा के लिए दी व बलवीर कौर की मृत्यु के बाद उक्त भूमि को उससे सरदूलसिंह के नुत्फे से पैदा होने वाले बच्चों को प्राप्त होने व इसका मालिक होने संबंधी इच्छा व्यक्त की। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थीगण सरदूल सिह व माता बलवीर कौर के वैवाहिक संबंधों से पैदा होने वाली संतान हैं ऐसी स्थिति में यह दस्तावेज स्पष्ट तौर पर एक कम्पोजिटट डाकोमेंट हैं अधीनस्थ न्यायालय का यह विचार कि दस्तावेज के पंजीकरण के समय प्रतिवादीगण का जनम नहीं हुआ था ऐसी स्थिति में वसीयत नहीं हो सकती थी, पूर्णतया गलत व अविधिक विवरण है। कानूनन इच्छा पत्र बिना जन्म बच्चे के पक्ष में भी किया जा सकता है।

4. तनकी संख्या 2 का विचारण भी अधीनस्थ न्यायलाय ने त्रूटिपूर्ण किया है। 15 बीघा भूमि जो जरिये दानपत्र सरदारासिंह के द्वारा अपनी पुत्रवधु प्रसन्न कौर को दी गई थी को सरदूल सिंह के हिस्सा की भूमि में से कम होना न मानकर विधि विरूद्ध विचारण किया है जबकि पंजीकृत हिबानामा दिनांक 26–12–59 में सरदारासिंह के द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि प्रसन्न्न कौर को जरिये हिब्बा दी जाने वाली 15 बीघा भूमि कालांतर में सरदूल सिंह के हिस्सा में से कम होगी। एकतरह से ऐसी व्यवस्था करके सरदूलसिंह के हिस्सा की भूमि की वरूवस्था उसकी दो पत्नीयों के होने की स्थिति में भविष्य में पैदा होने वाले विवाद विवाद को दृष्टिगत रखते हुए की गई थी। चूंकि उकत भूमि सरदारासिंह की स्वः अर्जित भूमि थी, ऐसी स्थिति में ऐसी पारिवारिक व्यवस्था किये जाने का सरदारासिंह को पूर्ण अधिकार प्राप्त था व उक्त हिब्बानामा भी फैमली सेटलमेंट का ही एक भाग था। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत विचारण किया कि हिब्बानामा को सर्शत निष्पादित नही किया जा सकता। वादीगण के कब्जा के संबंध में भी गलत विचारण किया गया है। अविभाजित सम्पति पर प्रत्येक हिससेदार का प्रत्येक इंच पर संयुक्त कब्जा होने की अवधारणा है ऐसी स्थिति में खाता के विभाजन के बिना वादीगण का प्रश्नगत कृषि भूमि पर एक आधिपत्य होना नहीं माना सकता है। ऐसी स्थिति में जबकि वादीगण को अभियाचित घोषणा प्रदान करने का अधिकारी नहीं माना तो उसके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष भी प्रदान नहीं किया जा सकता था।

5. अधीनस्थ न्यायलाय ने सरदारासिंह की भूमि में से 15 बीघा भूमि जो हिब्बानामा से संबंधित थी को कम कर शेष भूमि 153 बीघा 7 बिस्वा भूमि का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हिस्सा कसी की है एवं सरदूल सिंह के हिस्सा में 30 बीघा 15 बिस्वा भूमि होना मानकर व उसमें वादीगण –प्रत्यर्थीगण का कोपार्सनरी हक होना मानकर विधिक भूल की है। कानूनन प्रतिवादी–अपीलार्थीगण की माता को दी गई 29 बीघा 19 बिस्वा भूमि को सरदारासिंह से मिली भूमि में जोड़कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी–अपीलार्थीगण को एक बीघा 6 बिस्वा भूमि प्राप्त होना मानकर भी कानूनी गलती की है जबकि इस संबंध में वादीगण–प्रत्यर्थीगण के अभिवाक भिन्न हैं, जिसके अनुसार अपीलार्थीगण का 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर हिस्सा होना मानते हुए बैयनामों के जरिये बेचेने का कथन किया है। ऐसे बैयनामों को प्रतिवादीगण के द्वारा इंकार किया गया है व उनके द्वारा निष्पादित व पंजीकृत करवाये जाने से इंकार की गई है परन्तु इसके बावजूद भी न बैयनामों को वादीगण द्वारा साबित नही करवाया गया है। अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय ने इस बेयनामों को व इनमें दर्ज विषयवस्तु को अपीलार्थीगण की स्वीकारोक्ति होना मानकर कतई भूल की है।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र. में वर्णित 12.686 है0 कृषि भूमि के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की है जबिकि यह भूमि 50 बीघा से कुछ अधिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई हिस्सा कस्सी के अनुसार भी उसे 30 बीघा 15 बिस्वा से अधिक भूमि नहीं मिल सकती है क्यों कि प्रसन्न कौर की भूमि का भी बहिस्सा बराबर प्रतिवादी अपीलार्थीगण को उसकी मृत्यु के बाद प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में जबकि वादीगण केवल 30 बीघा 15 बिस्वा भूमि की हद तक अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा हिस्सेदार माने गये उन्हें 50 बीघा भूमि से अधिक भूमि को धारण करने के लिए निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती थी। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा जरिये राजीनामा वाद के जरिये चाहे गये अनुतोष से कतई इनकार कर दिया व प्रतिवादी अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिकथनों को स्वीकार किया ।

7. विवादक संख्या में अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन कि सरदूल सिंह की बहन सरजीतकौर के वारिसान व बहन राममूर्ति के द्वारा निष्पादित त्यागपत्र. दिनांक 17.10. 2002 के समय अपीलार्थीगण सह खातेदार नहीं थे, पूर्णतया गलत व अविधिक विचारण है। जमाबन्दी चक 8 एमजेडी में दर्ज 7.107 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी इस प्रकार दस्तबरदारी के समय अपीलार्थीगण सह खातेदार थे। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती चरणों में किये गये दिये गये विवरण अनुसार भी अपीलार्थीगण को अपने पिता व माता से कृषि भूमि प्राप्त हुई जिससे भी अपीलार्थीगण का हिस्सा कुल खाता की भूमि में निहित था इसलिए अपीलार्थीगण सहखातेदार थे। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी अधिकारिता के त्यागपत्र के संबंध में अपनी राय कायम की है यह भी उल्लेखनिय है कि न्यायालय सिविल न्यायाधीन संगरिया के समक्ष वादी प्रत्यर्थीगण के द्वारा उक्त दस्तबरदारी को निरस्त करवाने हेतु सिविल वाद दायर किया जिसमें दस्तबरदारी को शून्य व निष्प्रभावी घोषित कर दिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलाय का आदेश निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्त ने अपने कथनों में एआईआर 2020 एससी पेज 3717, एआरईआर 2015 एससीडब्ल्यू पेज 6258, सीसीसी 2010(10) पेज 235, एआईआर 2001 पेज 3062, एआईआर 2019 एचपी पेज 104, एआईआर 2002 एससी पेज 1279 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि सरदारासिंह के नाम दर्ज आराजी पैत्रिक आराजी थी तथा सरदूलसिह ने सरदारासिंह से प्राप्त आराजी का घरू बंटवारा कर लिया था सरदूलसिंह की पुत्रियां प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण अपने हिस्से व घरूबंटवारों में प्राप्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामे वादीगण को बैय कर दी थी। प्रतिवादीगण द्वारा बैयनामें में घरू बंटवारर का विवरण पेश करते हुए वादीगण का आराजी का बैय कर दी जिसेस भी [illegible] के नाम आराजी का पूर्व मं ही एक धरू बंटवारा हो चुका था तथा [illegible] बंट[illegible] में वादीगण को वादपत्र की मद नं0 5 में दर्ज आराजी प्राप्त [illegible] वादीगण [illegible] 5 में दर्ज आराजी प्राप्त हुई थी। वादी मद नं. 5 में दर्ज आ[illegible] को मद नं0 5 में दर्ज आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया [illegible] सहखातेदारी में अन्य सभी चकों से वादीगण का नाम कलमजन किया जावे प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की समस्त आराजी वादीगण को पूर्व में ही बैय कर दी है प्रतिवादीगण का वास्तव में अब

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कोई हक व हिस्सा नहीं है लेकिन चक 8 एमजेडी में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज चला आ है। अतः प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किये जाने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का का विचारण न्यायालय ने आदेश दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों में स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम राजकुमार रुकमणी रमन सुप्रिक कोर्ट के निर्णय दिनांक 11.09.1969, एआईआर 1953 पेज 7, एम.एल.जे. 1914 (27) पेज 681, के राजेश्वरी बनाम एम.वी. सम्नमुगम मद्रास हाई कोट दिनांक 04.06.2015, सीसीसी 2014 (2) पेज 133, डीएनजे 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज 262, आरआरडी 2014 पेज 623, सीसीसी 2015 (2) पेज 547, डीएनजे 2010 पेज 202 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

10. अधीनस्थ न्यायालय में वाद रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 3 का वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का था। जिसमें विचारण न्यायालय ने वादीगण संख्या 1 व 2 का वाद आंशिक तौर पर डिक्री करते हुए प्रतिवादीगण /अपीलार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया एवं चक 6 एमजेडी खाात संख्या 30/30 में दर्ज 8.933 है0 व चक 8 एमजेडी के खाता संख्या 31/35 में दर्ज 3.753 है0 भूमि को रहन, बैय न करने व वादीगण संख्या 1 व 2 के कब्जे में मदाखलत बैजा व मुजाहमत न करने संबंधित आदेश पारित किये हैं। विचारण न्यायालय ने दस्तावेज दिनंक 09.09.1958 को सरदारासिंह का इच्छा पत्र न होना माना है इस भूमि को सरदारा सिंह को निर्वसीयत सम्पति में क्लब किया है। प्रश्नगत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है जिसमें सरदारसिंह ने 29 बीधा 19 बिस्वा भूमि बलवीर कौर को अपने जीवनकाल में गुजारा के लिए दी व बलवीर कौर की मृत्यु के बाद उक्त भूमि को उससे सरदूल सिंह नुत्फे से पैदा होने वाले बच्चों को प्राप्त होने व उसको मालिक होने संबंधी इच्छा व्यक्त की है। उक्त दस्तावेज की विषयवस्तु से स्पष्ट है कि यह दस्तावेज एक कम्पोजिट डाकोमेंट है। दस्तावेज का नामकरण महत्व नहीं रखता है बल्कि ऐसे दस्तावेज को अर्न्तवस्तु महत्व रखती है। जहां तक यह विचार कि दस्तावेज के पंजीकरण के समय प्रतिवादीगण का जनम नहीं हुआ था ऐसी स्थिति में वसीयत नहीं की जा सकती है उचित नहीं है अजन्मे बच्चे के पक्ष में भी इच्छा पत्र किया जा सकता है। एक अन्य दस्तावेज दिनांक 26.12.59 हिबानामा जो कि पंजीकृत दस्तावेज है उसमें सरदारसिंह द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि प्रसन्नकौर को जरिये हिब्बा दी जाने वाली 15 बीघा भूमि कालांतर में सरदूल सिंह के हिस्सा में से कम होगी। इससे स्पष्ट है कि सरदूल सिंह ने अपनी दोनों पत्नियों के पक्ष में भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए की थी। यह हिब्बानामा फैमली सैटलमेंट का ही हिस्सा है।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है जमाबंदी चक नं0 8 में दर्ज 7.107 हिस्सा वादीगण व प्रतिवा[illegible] था इस प्रकार दस्तबरदारी के समय अपीलार्थीगण सह खातेदार [illegible] अतिरिक्त अपीलार्थीगण को अपने पिता व माता से जो कृ[illegible] का कुल भूमि में हिस्सा निहित था इसलिए अपी[illegible] थे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्यागपत्र [illegible] कायम की है वह जबकि पंजीकृत दस्तावेज है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2004 निरस्त किये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

13. निर्णय आज दिनांक 03.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

3/12/20

(करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner